प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.10.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे हुई स्नैचिंग व लूट की घटनाओं के अनावरण व अपराध की रोकथाम हेतु उच्चाधिकारीगणो के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण मे स्नैचिंग व लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु आज दिनांक 14.10.2025 को देर रात्रि बजे थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा 5/6 की पुलिया पर चैंकिंग की जा रही थी तभी कनावनी पुलिया की ओर से एक मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति को आता हुआ देखकर पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया परन्तु मोटर साइकिल सवार व्यक्ति नही रुका तथा मोटर साइकिल को तेजी से मोड़कर कनावनी पुलिया की तरफ जाने वाले रोड की तरफ भागने लगे, तभी पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस से बचकर भागने की जल्दी व हडबडाहट में मोटर साइकिल फिसलकर रोड़ पर गिर गई। उस व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर खुद को पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने पास लिए तमंचे से पुलिस वालों को निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से फायर किया। जिससे पुलिस पार्टी मे बाल-बाल बची इसी क्रम में पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही मे अपने जान माल की सुरक्षा हेतु पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुए पुलिस पार्टी द्वारा सिखलाए हुए तरीके से बदमाश की तरफ फायर किया। जिससे बदमाश पारस उर्फ सोनू पुत्र राम अवतार निवासी म0नं0-178 गली नं0-3 कच्ची कालोनी मौजपुर थाना शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष के दोनों पैर में गोली लगी। जिससे बदमाश घायल होकर नीचे गिर गया। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में राह चलते लोगों से चैन लूटकर दिल्ली में सस्ते दामों में बेचकर पैसे कमा लेता है और उन पैसों को अपने शौक मौज में खर्च कर देता हुँ। इसी क्रम में दिनांक 06/10/2025 को एटीएस एडवांटेज के गेट नं0-5 के बाहर एक महिला के गले से चैन छीनी थी, जिसको दिल्ली मे बेच दिया घटना को स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

पारस उर्फ सोनू पुत्र राम अवतार निवासी म0नं0-178 गली नं0-3 कच्ची कालोनी मौजपुर थाना शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त पारस उर्फ सोनू पुत्र राम अवतार निवासी म0नं0-178 गली नं0-3 कच्ची कालोनी मौजपुर थाना शाहदरा दिल्ली मे लूट व स्नैचिंग के कुल 11 अभियोग पंजीकृत है व थाना इन्दिरापुरम पर लूट और स्नैचिंग के 03 अभियोग, थाना शालीमार गार्डन पर लूट व पुलिस मुढभेड के 02 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 17 अभियोग पंजीकृत हैं व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 11 कार्टन गत्ते व 12 डिब्बे स्काई शॉट एवं 07 अवैध आतिशबाजी के कट्टे बरामद।

दिनांक 14.10.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस अवैध रूप से आतिशबाजी पटाखों की बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 01 अभियुक्त मयंक गर्ग पुत्र स्व0 लक्ष्मी नारायण गर्ग निवासी चौपला मन्दिर के सामने लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज दोना पत्तल की दुकान थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को 11 कार्टन गत्ते व 12 डिब्बे स्काई शॉट एवं भिन्न भिन्न मार्का के 07 प्लास्टिक के कट्टे रंग बिरंगे अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि साहब आगामी त्यौहार दीपावली के मद्देनजर मैं आतिशबाजी पटाखों की बिक्री कर आर्थिक लाभ अर्जित करता हूं।

नाम पता अभियुक्त

मयंक गर्ग पुत्र स्व0 लक्ष्मी नारायण गर्ग निवासी चौपला मन्दिर के सामने लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज दोना पत्तल की दुकान थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी-

11 कार्टन गत्ते व 12 डिब्बे स्काई शॉट एवं भिन्न भिन्न मार्का के 07 अदद प्लास्टिक के कट्टे रंग बिरंगे अवैध आतिशबाजी पटाखे इत्यादि।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 14.10.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम चैकिंग के दौरान द्वारा मुखविर की सूचना के आधार पर वाहन चौरी करने वाला 01 अभियुक्त मनीष शर्मा उर्फ मोटा पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी 7/20/22 बी ब्लाक कालपुर संतनगर थाना बुराडी दिल्ली हाल पता अमन गार्डन जुबैर की मम्मी का मकान थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को निस्तौली रोड टीलामोड़ से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त का 01 अन्य साथी गौरव गुप्ता पुत्र रामनारायण नि0 तीन टावर नाईपुरा थाना लोनी गाजियाबाद हाल पता 100 फुटा रोड लोनी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद जो कि चोरी की 01 अन्य मोटर साइकिल को छोड़कर भाग गया, मौके से कुल चोरी की 02 मोटर सोइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त मनीष शर्मा व गौरव गुप्ता उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5), 3(5), 345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मनीष शर्मा उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आयें कि अभियुक्त मनीष शर्मा उपरोक्त अपने अन्य साथी गौरव गुप्ता के साथ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रैकी कर खड़े वाहनों को चिन्हित कर मास्टर चाबियों से लॉक तोड़कर चोरी कर लेते है, फिर कुछ समय बाद चोरी किये गये वाहनों को सस्ते दामों पर बेच देते है। इसी क्रम अभियुक्त द्वारा कुछ वाहन जनपद फरीदाबाद हरियाणा में कबाडियों को बेचे गये है। अब तक अभियुक्त उपरोक्त द्वारा कई दो पहिया वाहन चोरी किये गये है। अभियुक्त पिछले वर्षो में थाना बुराडी दिल्ली, सराय रोहिल्ला, रूप नगर, माडल टाउन, मुखर्जी नगर, प्रशान्त विहार, तीमारपुर, न्यू उस्मानपुर आदि से जेल जा चुका हूँ। जिसके क्रम में अभियुक्त उपरोक्त को चैकिंग के दौरान चोरी की मोटर साइकिल सहित पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मनीष शर्मा उर्फ मोटा पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी 7/20/22 बी ब्लाक कालपुर संतनगर थाना बुराडी दिल्ली हाल पता अमन गार्डन जुबैर की मम्मी का मकान थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 25 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अगूँठी पीली धातु , 01 गले का हार पीली धातु , 02 झाले पीली धातु व 01 गले की चेन सफेद धातु, 01 पैंडल सफेद धातु , 04 पाजेब सफेद धातु व कुल 1050/- नगद रूपये बरामद ।

आज दिनांक 14.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1. दीपक यादव पुत्र स्व0 प्रदीप कुमार निवासी 02/201 रामेश्वर पार्क, थाना अंकुर विहार, गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष 2. जितेन्द्र कुमार उर्फ सोनू पुत्र अतराज़ सिंह निवासी फेज 06 गली नं0 6/18 शिव विहार, थाना करावल नगर, दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष 3.विजयपाल पुत्र प्रताप सिंह निवासी फेज 10, गली नं0 22, शिव विहार थाना करावल नगर, दिल्ली उम्र करीब 41 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 अगूँठी पीली धातु , 01 गले का हार पीली धातु , 02 झाले पीली धातु व 01 गले की चेन सफेद धातु, 01 पैंडल सफेद धातु , 04 पाजेब सफेद धातु व कुल 1050/- नगद रूपये बरामद हुये। उक्त चोरी के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण दीपक व जितेन्द्र ने पूछताछ के दौरान बाताया कि हमने अपने साथी नरेश निवासी विकास कुंज लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के साथ मिलकर दिनांक 05/10/2025 की रात्रि में डी ब्लॉक विकास कुंज में एक बन्द मकान से जेबरात व नगद रूपये चोरी किये थे। चोरी किये गये रुपये नरेश ने ले लिये थे। आज हम चोरी किये गये जेबरातों को विजयपाल सुनार के साथ मिलकर बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चैकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. दीपक यादव पुत्र स्व0 प्रदीप कुमार निवासी 02/201 रामेश्वर पार्क, थाना अंकुर विहार, गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष
2. जितेन्द्र कुमार उर्फ सोनू पुत्र अतराज़ सिंह निवासी फेज 06 गली नं0 6/18 शिव विहार, थाना करावल नगर, दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष
3. विजयपाल पुत्र प्रताप सिंह निवासी फेज 10, गली नं0 22, शिव विहार थाना करावल नगर, दिल्ली उम्र करीब 41 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

नरेश निवासी विकास कुंज लोनी बॉर्डर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से चोरी की 01 अगूँठी पीली धातु , 01 गले का हार पीली धातु , 02 झाले पीली धातु व 01 गले की चेन सफेद धातु, 01 पैंडल सफेद धातु , 04 पाजेब सफेद धातु व कुल 1050/- नगद रूपये बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तों के विरुद्ध तथा उक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरे 03 प्लास्टिक कट्टे व 01 कार्टून (कीमत लगभग 40,000/- रुपये) बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 14.10.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्त 1. आयुष पुत्र राधेश्याम पता म0न0 64 राधेश्याम पार्क सैक्टक 03 राजेन्द्र नगर उम्र करीब 21 वर्ष, 2. यश चौहान पुत्र राजेश्वर चौहान पता डी0 50 श्यामपार्क एक्सटेंसन थाना साहिबाबाद उम्र करीब 21 वर्ष व 3. अक्षत भटनागर पुत्र नीरज भटनागर निवासी 64 ए राधेश्याम पार्क सैक्टर 05 राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को उत्तम नगर दिल्ली से आने वाली गाडी में अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ गोलपार्क लाजपत नगर कट थाना साहिबाबाद से अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरे 03 प्लास्टिक कट्टे व 01 कार्टून (कीमत लगभग 40,000/- रुपये) गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 9B(1)(b) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण आगामी त्यौहारों पर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से फरुखनगर से अनन्त फायर वर्कस के पास से एक चलते-फिरते लड़के से 20,000/- रुपये में खरीद कर लाये है और खरीदे हुए अवैध पटाखों को चोरी- छिपे बेचने के लिए ले जा रहा था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. आयुष पुत्र राधेश्याम पता म0न0 64 राधेश्याम पार्क सैक्टक 03 राजेन्द्र नगर उम्र करीब 21 वर्ष ।
2. यश चौहान पुत्र राजेश्वर चौहान पता डी0 50 श्यामपार्क एक्सटेंसन थाना साहिबाबाद उम्र करीव 21 वर्ष ।
3. अक्षत भटनागर पुत्र नीरज भटनागर निवासी 64 ए राधेश्याम पार्क सैक्टर 05 राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरे 03 प्लास्टिक कट्टे व 01 कार्टून (कीमत लगभग 40,000/- रुपये) बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना साहिबाबाद पर विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।